

2025/734

श्रीराम
23.9.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
शयोपत बनाम कृष्णकुमार आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 504 वर्ष 2025

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये


09.09.2025 वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.09.2025 को पेश हो।

८

10.9.2025

वकील वादी ने प्रार्थना-का सिविल पेक्षा केले पर प्रजावली को पेक्षा में लिपा गया। वकुलार फरिस्टेन उपरिष्ठा। वादी कृष्णकुमार आदि ने रजिस्टर्ड अहकाम जाकर दाखलनामा पेक्षा किया जिसे काउ लम्बीक शामिल कार्रवलि किया गया। प्रजावली वाले केट जाकर दाखलनामा पेक्षा 19.9.2025 को पेश हो

श्रीराम
नृपती



19.9.2025

वकुलार फरिस्टेन उपरिष्ठा/PU माह गालेवाशि.
वकुलार फरिस्टेन उपरिष्ठा
पत्रावली
दिनांक 22.9.2025
पेश हो

सुनील

23.9.2025

वकुलार फरिस्टेन उपरिष्ठा वदर सुनी गरी। प्रजावली को अवलेकन किया गया। प्रजावली पर उपलब्ध डिवाइस काउ व वादी कृष्णकुमार आदि के दाखलनामा पेक्षा आचर पर वाद वादी डिवाइस पेक्षा जाता है। वकील विरुद्ध सहित निरपि अलग के लिखना जाकर शामिल कार्रवलि किया जाने। प्रजावली लम्बर से काम की जाकर काउ लम्बीक लम्बीक जाकर दाखलनामा पेश हो।

अनादिनी

